न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)एफ.टी.सी./ए.सी.जे.एम. पीलीभीत।

परिवाद संख्या–595/2022

ओमवती **बनाम** कुंवरसेन आदि।

दिनांकः 16.12.2022

परिवाद पेश हुआ। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी या स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। परिवादी पिछली कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रही है। पत्रावली का परिशीलन करने से तथ्य प्रकट होता है कि पत्रावली परिवादी के कथन अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अंकित कराये जाने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। किन्तु परिवादिनी के द्वारा धारा– 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कोई कथन अंकित नहीं कराया गया।

इस प्रकार पत्रावली में वर्णित तथ्यों को प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजन से कोई भी मौखिक अथवा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य परिवादी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। निष्कर्षतः परिवाद में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण को तलब किये हेतु पर्याप्त आधार नहीं है एवं यह परिवाद धारा– 203 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत परिवाद धारा– 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली अभिलेखागार अभिसंचित की जाए।

(प्रियंका रानी)
सिविल जज (सी.डि)
एफ.टी.सी./ए.सी.जे.एम., पीलीभीत

Digitally signed by PRIYANKA RANI
Date: 2022.12.16 16:27:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court